छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–9/2008/1–7 नया रायपुर,दिनॉक 01/03/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः–लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर.राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का प्रचार–प्रसार करने बाबत्।

शासन द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्ति) सम्मान निधि नियम ,2008 के नियम 2 (ग) में, नियम 5 के उपनियम (1) में, एवं नियम 15 में संशोधन किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.02.2017 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। संक्षेप में उक्त संशोधन निम्नानुसार है–

(1) अधिसूचना जारी होने की तिथि से ''मीसाबंदी'' अब **''लोकतंत्र सेनानी''** कहलायगें।

(2) मीसाबंदियों की सम्मान निधि की राशि में **दिनांक 1 अप्रैल, 2017** से निम्नानुसार बढ़ोतरी की गई है–

1. रू. 5,000/– को बढ़ाकर **रू. 8,000/–**
2. रू. 10,000/– को बढ़ाकर **रू. 15,000/–**
3. रू. 15,000/– को बढ़ाकर **रू. 25,000/–**

(3) सम्मान निधि हेतु आवेदन करने की **अंतिम तिथि ''31 मार्च, 2017''** निर्धारित की गई है।

2/ कृपया उपरोक्त संशोधनों की जानकारी तत्काल स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित करवायें ताकि उसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार हो सके एवं सम्मान निधि की पात्रता रखने वाले व्यक्ति निर्धारित अंतिम तिथि **31 मार्च, 2017 के पूर्व** उनके आवेदन पत्र जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

....2

एन.आई.सी. राज्य इकाई, रायपुर
No. 4279
Date 02/03/17
N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR

पृ.क्रमांक एफ 7–9/2008/1–7 नया रायपुर, दिनॉक 01/03/2017

प्रतिलिपि:–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. जनसंपर्क अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
5. समस्त जिला कोषालय, छत्तीसगढ़।
6. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (**NIC**), मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gadonline** में अपलोड करने हेतु।
7. श्री सच्चिदानंद उपासने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकतंत्र सेनानी संघ, पुलिस ग्राउण्ड के सामने, नेहरू नगर, रायपुर।

की ओर अधिसूचना की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनॉक 25/02/2017

क्रमांक एफ 7–9/2008/1–7 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

<u>संशोधन</u>

उक्त नियमों में, –

1. नियम 2 में, खण्ड (ग) में, शब्द एवं चिन्ह ''मीसा/डी.आई.आर के अधीन निरूद्ध किये गये व्यक्ति'' के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह '' 'लोकतंत्र सेनानी' कहलायेंगे '' प्रतिस्थापित किया जाये।
2. नियम 5 मे, उप–नियम (1) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह ''रूपये 5000/–'', ''रूपये 10,000/–'' एवं ''रूपये 15,000/–'' के स्थान पर, क्रमशः शब्द, अंक एवं चिन्ह ''रूपये 8,000/–'', ''रूपये 15,000/–'' एवं ''रूपये 25,000/–'' प्रतिस्थापित किया जाये।
3. नियम 15 में, अंक एवं शब्द ''31 दिसम्बर, 2014'' के स्थान पर, अंक एवं शब्द ''31 मार्च, 2017'' प्रतिस्थापित किया जाये।

उपरोक्त नियम 2 (ग) एवं नियम 15 का संशोधन, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा नियम 5(1) का संशोधन, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग